मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल–462004

क्रमांक एफ 11–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 18 DEC 2019

आदेश

शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.2017, 15.06.2017, 24.05.2017, 01.08.2017, 20.09.2017 एवं 26.10.2017 से तीन स्तर पर निविदा प्रकोष्ठ गठन तथा इन प्रकोष्ठों से निविदा आमंत्रण एवं निराकरण के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे (छायाप्रति संलग्न)। इन निविदा प्रकोष्ठों को निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स 2.10 एवं फार्म–एफ पर निविदा आमंत्रण एवं निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है।

एन.आई.सी. द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु विकसित नवीन पोर्टल https://www.mptenders.gov.in पर निविदा आमंत्रण हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत् प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 582/MIS/प्र.अ./लो.स्वा.यॉं.वि./2018 दि.07.12.2018 से निर्देश जारी किये गये थे। प्रमुख अभियंता कार्यालय के इन निर्देशों को विलोपित करते हुए उक्त नवीन पोर्टल से निविदा आमंत्रण एवं निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1- निविदा प्रकोष्ठ तथा प्रकोष्ठवार निर्धारित निविदा लागत की सीमा एवं निविदा के क्रिएशन, मोडिफिकेशन, पब्लिशिंग (रिलीज़) हेतु प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों (प्राधिकारी) का विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

क्र.	निविदा प्रकोष्ठ	निविदा लागत की सीमा (Probable Amount of Contract, PAC)	प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	कार्यालय प्रमुख अभियंता (मुख्यालय)	रु. 5.00 करोड़ से अधिक	1. अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट) – निविदा प्रकोष्ठ प्रभारी 2. कार्यपालन यंत्री (प्रोक्योरमेंट) 3. अपर/संयुक्त संचालक (वित्त) 4. सहायक यंत्री/उपयंत्री (प्रोक्योरमेंट) 5. मानचित्रकार
2.	कार्यालय मुख्य अभियंता (परिक्षेत्र कार्यालय)	रु. 1.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 5.00 करोड़ तक	1. अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट) – निविदा प्रकोष्ठ प्रभारी 2. कार्यपालन यंत्री (प्रोक्योरमेंट) 3. लेखाधिकारी 4. मुख्यालय अधीक्षक 5. सहायक यंत्री/उपयंत्री (प्रोक्योरमेंट)
3.	कार्यालय कार्यपालन यंत्री (खण्ड कार्यालय)	रु. 1.00 करोड़ तक	1. कार्यपालन यंत्री – निविदा प्रकोष्ठ प्रभारी 2. संभागीय लेखाधिकारी 3. जिला मुख्यालय में पदस्थ सहायक यंत्री 4. वरिष्ठ लेखा लिपिक 5. तकनीकी निविदा शाखा में पदस्थ कर्मचारी

...2.....

2- कण्डिका –1 की तालिका के कॉलम–3 तक की निविदा लागत वाली निविदाओं के आमंत्रण एवं निराकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही कॉलम–2 की निविदा प्रकोष्ठ द्वारा ही की जायेगी।

3- पोर्टल पर निविदा क्रिएट करते समय सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया के संपादन हेतु कण्डिका–1 की तालिका के कॉलम–4 में से किन्हीं 4 प्राधिकारियों को यथासंभव वरिष्ठताक्रम में नामांकित किया जायेगा।

4- कण्डिका–1 की तालिका के कॉलम–4 में अंकित प्राधिकारियों में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा टेण्डर क्रिएट/मोडिफाई/पब्लिश किया जा सकता है, किन्तु टेण्डर की ओपनिंग दो प्राधिकारियों के संयुक्त लॉगिन तथा डिजीटल सिग्नेचर से ही की जायेगी। यह दोनों प्राधिकारी भिन्न लेवल के भी हो सकते हैं।

5- यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदा प्रकोष्ठ से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रारुप सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत निविदाऐं पोर्टल पर आमंत्रित की जायें। निविदा प्रपत्र में कोई भी तकनीकी कमी परिलक्षित होने पर निविदा का प्रारुप अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- आमंत्रित निविदा में यदि प्री–बिड मीटिंग का प्रावधान किया जाता है तो प्री–बिड मीटिंग में संभावित निविदाकारों द्वारा की जाने वाली पृच्छाओं (Queries) के समाधान हेतु जारी किये जाने वाले Corrigendum आदि संबंधित खण्ड के कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार कर ऑनलाईन अपलोड किये जायेंगे। यदि निविदा का आमंत्रण खण्ड स्तर से वरिष्ठ स्तर के निविदा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया है तो ऐसी स्थिति में प्री–बिड मीटिंग का हस्ताक्षरित कार्यवाही विवरण अथवा Corrigendum संबंधित खण्ड के कार्यपालन यंत्री द्वारा निविदा प्रकोष्ठ को 02 दिवस की समय–सीमा में उपलब्ध कराया जायेगा।

7- निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन सहित निविदा आमंत्रण एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही, जो कि इस आदेश से परिवर्तित नहीं की गई हो, पूर्व में जारी समसंख्यक आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

17.12.2019

(राजेश शाक्यवार)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग

....3.......

पृ.क्र.एफ 11–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 18 DEC 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव,माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, बाणगंगा, भोपाल
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/2019

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग